न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

[illegible]

[illegible]

01 [illegible] पिता हासु रेबारी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी–धोरों का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)

— वादी

बनाम

01 [illegible] पिता हासु रेबारी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी–धोरों का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।

02 [illegible] पिता हासु रेबारी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी–धोरों का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।

03 [illegible] पिता हासु रेबारी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी–धोरों का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।

04 [illegible] पुत्री हासु रेबारी जाति रेबारी पत्नी [illegible] आयु वयस्क निवासी–धोरों का बाडिया हाल निवासी [illegible] की ढाणी, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा(राज0)।

05 [illegible] पुत्री हासु रेबारी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी–धोरों का बाडिया हाल निवासी जीपिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।

06 [illegible] पुत्री हासु रेबारी जाति रेबारी पत्नी बहादुर रेबारी आयु वयस्क निवासी–धोरों का बाडिया हाल निवासी रामपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा(राज0)।

07 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0). — प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :–

1. श्री कमलेश मेहता —अधिवक्ता वादीगण
2. एकपक्षीय– — प्र.सं. 01 लगायत 06
3. पैरोकार सरकार ——प्रति.सं. 07

दिनांक– 04.08.2025

:: निर्णय ::

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत स्तुत कर सरहद धोरा का बाडिया पटवार हल्का किडिमाल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 06 के नाम शामलाती खातेदारी क से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर हक हिस्से की भूमि को विकसित करने मे, फसल, लगान ादि जमा कराने एवं ऋण लेने में विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत क धिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु ज जिस्टर्ड एडी जारी किए गए। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 के बाद तामिल उपस्थित नही होन कपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रकरण मे उ स्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहरा हसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोक या, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया तएवः

आदेश

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़

सरहद धोरा का बाडिया पटवार हल्का किडिमाल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ज्ञानगढ़ तहसील ड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 47 के आराजी नम्बर—1045, 3417, 3459, 3460, 3462, 3, 3609/3466 कुल किता 07 कुल रकबा 08 बीघा 13 बिस्वा भूमि मे वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 यत 06 के मध्य हक हिस्से से मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर शामलाती रास्ते को दर्ज करते हुए ानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे ोम किये जाने के आदेश दिये जाते है :—
ातेदार का नाम— झुंझार पिता आशु रेबारी हिस्सा 1/2 जाति रेबारी सा0 धोरा का बाडिया खातेदार के पर

.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1.	1045	0.1770 हैक्टयर
2.	3459/1	0.4450 हैक्टयर
3.	3463/1	0.3623 हैक्टयर
4.	3609/3466/1	0.0941 हैक्टयर
ग	किता 04	1.0784 हैक्टयर

)खातेदार का नाम—अमान, चेनाराम, रामलाल पिता हासु रेबारी, रंभा, गेवा, अचना पुत्री हासु रेबारी हिस्सा /6 जाति रेबारी सा0 धोरा का बाडिया, रहन जी.एस.एस. किडिमाल खातेदार के नाम पर

.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1.	3417	0.1770 हैक्टयर
2.	3460	0.0632 हैक्टयर
3.	3462	0.1391 हैक्टयर
4.	3459/3	0.1700 हैक्टयर
5.	3463/2	0.2700 हैक्टयर
6.	3609/3466/2	0.2600 हैक्टयर
ोग	किता 06	1.0793 हैक्टयर

शामलाती रास्ता सह खातेदार के नाम—झुंझार पिता आशु रेबारी हिस्सा 1/2 जाति रेबारी सा0 धोरा का डिया, अमान, चेनाराम, रामलाल पिता हासु रेबारी, रंभा, गेवा, अचना पुत्री हासु रेबारी हिस्सा 1/6 जाति री सा0 धोरा का बाडिया, रहन जी.एस.एस. किडिमाल खातेदार के नाम पर (रास्ता)

.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
01.	3459/2	0.0300 हैक्टयर
ोग	किता 01	0.0300 हैक्टयर

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रेकार्ड मे अलग खाता कायम कर नाम प्रतिस्थापित या जावे।तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी उक्तानुसार डिकी जारी हो खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन रेंगे।
निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(उपेन्द्र ...)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)